2024/203

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	**बनाम**	**अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**
श्री कान्तिलाल उपाध्याय निवासी ब्रह्मपुरी मोहल्ला सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।		सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 29 वर्ष 2024

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
25.07.2024	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड को दिनांक 20.05.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि दिनांक 17.05.2024 को अपीलांट के विरूद्ध गांव सांतपुर (आबूरोड) के ग्रामीणों द्वारा मौजा सांतपुर में स्थित खसरा संख्या 326 गोचर भूमि में 10 बीघा भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने बाबत् ज्ञापन दिया गया है तथा प्रभावी कार्यवाही करने हेतु मांग की गई है। उपरोक्त ज्ञापन की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिये है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड को दिनांक 20.05.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि दिनांक 17.05.2024 को अपीलांट के विरूद्ध गांव सांतपुर (आबूरोड) के ग्रामीणों द्वारा मौजा सांतपुर में स्थित खसरा संख्या 326 गोचर भूमि में 10 बीघा भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने बाबत् ज्ञापन दिया गया है तथा प्रभावी कार्यवाही करने हेतु मांग की गई है। उपरोक्त ज्ञापन की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (शुभम चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Scanned with CamScanner